


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2012-13/विशेष छूट/लीज/89/319 दिनांक : 6.3.2013

—:: कार्यालय आदेश ::—


प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में आवेदन पत्र लिये जाने हेतु शासन उपसचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2012 की अनुपालना में मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 206 दिनांक 22.11.2012 द्वारा जारी किये गये थे। उसी के अनुसरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक 2011 दिनांक 15.02.2013 द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तिथि एवं निस्तारित करने की तिथि 31.03.2013 तक बढ़ाई जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी दिनांक 31.03.2013 तक प्रदत्त शिथिलताएँ लागू होंगी।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. लेखाधिकारी वसूली वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
14. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार